Statement

Details of the number of Class-V vehicles and the price at which each vehicle was allotted to Members of Parliament, during the last three years

Category of vehicle	During 1994		During 1995		During 1996	
	Qty	Price at which allotted	Qty	Price at which allotted	Qty	Price at which allotted
		(Rs.)		(Rs.)		(Rs.)
Car Ambassador	06	36,000	16	38,500	04	38,500
Jeep	71	30,740	155	34,161	143	38,899
Jonga	01	19,640	—	—	03	19,640
Motor Cycle	05	9,469	12	9,842	05	10,975

2. Only discarded vehicles are placed in the disposal stock for allotment to Members. A defence vehicle becomes due for discard either, if it has run the prescribed kilometreage for that category of vehicles or has been in use for the prescribed number of years, whichever, is later.

एकीकृत आयुध कारखाने की स्थापना किया जाना

2606. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में एक एकीकृत आधुनिक आयुध कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस दिशा में कोई रूपरेखा तैयार की है;

(घ) क्या सरकार ने गुजरात में लौह अयस्क, विशाल समुद्री तट तथा उपलब्ध आवश्यक बुनियादी ढांचे और गैस के भंडार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1997-98 के दौरान एकीकृत आधुनिक आयुध कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना पर कब तक कार्य प्रारंभ किये जाने की संभावना है; और

(च) क्या राज्य सरकार ने सभी सुविधायें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) से (च) जी, नहीं। देश में गुजरात या अन्य किसी स्थान पर एकीकृत आधुनिक आयुध निर्माणी स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Supply of low quality Rifles to fight against insurgency in Noth-East Region

2607. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the report appearing in the Poineer dated 3.1.1997 regarding supply of untested 5.56 mm rifles and low quality ammunition to fight insurgency in the North-East and Jammu and Kashmir;

(b) if so, whether Government have made any inquiry into the matter; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (c) Yes, Sir. 5.56 mm Rifles belong to a new generation of Small Arms and are being inducted to replace the existing 7.62 mm Rifles. These Rifles have been inducted after successful trial evaluation. These Rifles and their Ammunition are being

productionised in the Ordnance Factories. The quality of the weapons and ammunition is certified by the Directorate General of Quality Assurance, before issue. There has been no report on issue of defective 5.56 mm Rifles/ammunition to troops fighting insurgency.

Ayurvedic Medical Treatment Facilities for Defence Employees

2608. SHRI MOOLCHAND MEENA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Ayurvedic medical treatment facilites are available at the hospitals run by Ministry of Defence for its employees; if so, the details of the places where such facilities are available; and

(b) whether the Ministry of Defence propose to provide such facilities for all of its employees in the hospitals run by it, if so, by when, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) The Ayurvedic dispensaries are functioning in Air Force Station, New Delhi and Naval Hospital, Cochin.

(b) Allopathic System of medicine is used in Military Hospitals under the Ministry of Defence to provide medical care to the Armed Forces personnel. Preliminary studies are being carried out to determine the extent upto which Ayurvedic system of treatment can be introduced in the Armed Forces Medical Services. These studies are at very initial stage and no firm views can be expressed at this stage.

छावनी क्षेत्रों में चलाये जा रहे समेकित ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2609. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत चलाये जाने वाली योजनाओं को छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए भी लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए है;

(ग) छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अहमदाबाद, भुज तथा जामनगर स्थित छावनियों के विकास पर कितना व्यय किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) और (ख) एकीकृत ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय प्रमुख एजेंसी है। उन्होंने बताया है कि एकीकृत ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना छावनी क्षेत्रों में लागू नहीं की जाती है। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रों को ध्यान में रखे बिना संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग के लिए संबंधित संसद सदस्य के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

(ग) छावनी बोर्ड सांविधिक निकाय हैं जो छावनी अधिनियम 1924 के प्रावधानों के तहत चलाए जाते हैं। छावनी बोर्ड अपने संसाधनों के भीतर ही विकास योजनाएं चलाते हैं। जो छावनी बोर्ड स्वयं विकास योजनाएं चलाने की स्थिति में नहीं होते उन्हें केन्द्र सरकार विकास योजनाओं के लिए विशेष सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है। सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान छावनी के विकास के लिए स्वीकृत व वित्त पोषित योजना के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**।

(घ) गुजरात में केवल अहमदाबाद ही छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत घोषित छावनी है। गुजरात में भुज और जामनगर नगर क्षेत्रों को छावनियां घोषित नहीं किया गया है। चूंकि अहमदाबाद आत्मनिर्भर छावनी बोर्ड है। अतः रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान छावनी को कोई अनुदान नहीं दिया गया है। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड को पिछले 3 वर्ष के दौरान सेवा प्रभारों के रूप में दिए गए धन और विकास कार्यों पर किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:—